"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 61] रायपुर, शनिवार, दिनांक 24 फरवरी 2007—फाल्गुन 5, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/78/2006/वाक /पांच (5).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल को कॉलम (3) में वर्णित सीमा तक कॉलम (4) में दिये गये निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का विवरण (2)	कर मुक्ति सीमा (3)	निर्बंधन तथा शर्तें जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई (4)
1.	ब्लड बैंक वाहन	धारा 8 के अधीन संपूर्ण कर	जबकि माल का विक्रय संलग्न प्रारूप में दिये प्रमाण-पत्र के विरुद्ध छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाई द्वारा "भारतीय रेड क्रास सोसायटी, छत्तीसगढ़ राज्य शाखा" को मानव सेवा/नि:शुल्क वितरण हेतु किया जाय.

परिशिष्ट

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक ....)

(संस्था का नाम) .... का
मैं (नाम व पद/हैसियत) ....
पता ....
यह घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित माल मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के तहत ....
पंजीयन क्रमांक धारक (व्यवसायी का नाम व पता) ....से क्रय किया गया है.

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि उक्त माल का क्रय अधिकारियों/कार्यालयीन के व्यक्तिगत उपयोग के लिये नहीं है.

क्रय माल का विवरण

क्रय आदेश/बिल/बीजक/कैश मेमो/ चालान का विवरण		क्रय किए गए माल का विवरण	मात्रा	कीमत रुपये
क्रमांक	दिनांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कुल कीमत (अंकों में) रुपये .... (शब्दों में) रुपये ....
.... केवल.

स्थान ....
दिनांक ....

क्रेता के हस्ताक्षर सील एवं हैसियत सहित

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2007

क्रमांक एफ-10/78/2006/वाक/पांच (5).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/78/2006/वाक/पांच (5), दिनांक 24-2-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 24th February 2007

NOTIFICATION

No. F-10/78/2006/CT/V (5).—In exercise of the powers conferred by Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby with effect from publication in official gazette exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3) subject to the restrictions and condition specified in column (4) :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restriction and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Blood Bank Vehicle	Whole of tax u/s. 8	When sold by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act to "Indian Red Cross Society, Chhattisgarh State Branch" against a certificate in the appended form for humanitarian cause / free distribution.

APPENDIX

(Under C. T. D. Notification No. .... Dated ....)

I (Name & Designation/Status) .... of (Name of the institution) .... Address .... hereby declare that the goods, particulars of which have been given below, have been purchased from (Name and Address of the dealer) .... holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Value Added Tax Act.

I further declare that the purchase of said goods is not for personal use of officers/official.

PARTICULARS OF GOODS PURCHASED

Particulars of Purchase order/Bill/ Invoice/Cash-memo/Challan		Description of goods purchased	Quantity	Value in Rs.
No.	Date			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Total value (in figures) Rs. .... (in words) Rs. .... only.

Place ....

Date ....

Signature of the purchaser with seal and Status

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/11/2007/वाक/पांच (6).—छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (क्रमांक 13 सन् 1988) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ-10/20/2003/वाक/पांच (40) दिनांक 01-05-2003 में अंक "2007" के स्थान पर अंक "2008" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2007

क्रमांक एफ-10/11/2007/वाक/पांच (6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/11/2007/वाक/पांच (6), दिनांक 24-2-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 24th February 2007

NOTIFICATION

No. F-10/11/2007/CT/V (6).—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar Adhiniyam, 1988 (No. 13 of 1988), the State Government hereby makes the following amendment :-

AMENDMENT

In the notification number F-10/20/2003/CT/V (40) dated 1-5-2003 for the figure "2007", the figure "2008" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.